दिनांक 17.12.2012 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न कृषि संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति की सातवीं बैठक की कार्यवाही:–

सर्वप्रथम मुख्य सचिव, बिहार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, माननीय मंत्रीगण, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य योजना पर्षद, अध्यक्ष, बी0एस0एच0पी0सी0एल0, कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पुसा/बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर एवं सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि 13 जून, 2012 से 30 जुलाई, 2012 तक विकास आयुक्त के रूप में उनके द्वारा कृषि रोड मैप अन्तर्गत योजनाओं की तैयारी की प्रगति की संबंधित विभागों के साथ साप्ताहिक समीक्षा की जाती थी। 01 सितम्बर, 2012 से मुख्य सचिव के रूप में भी उनके द्वारा इसकी मासिक समीक्षा की जा रही है।

2. मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि कृषि रोड मैप के अन्तर्गत 12 विभागों में योजनायें ली गयी हैं। वर्ष 2011–12 में इन 12 विभागों का कुल उद्व्यय ₹ 6718.17 करोड़ था जिसके विरूद्ध कुल व्यय ₹ 6902.73 करोड़ (102.75 प्रतिशत) था। वर्ष 2012–13 में इन 12 विभागों का उद्व्यय ₹ 10021.17 करोड़ है। 07 विभागों को कुल ₹ 2475.75 करोड़ का अतिरिक्त उद्व्यय दिया गया है। इस प्रकार वर्ष 2012–13 में कुल उद्व्यय ₹ 12280.93 करोड़ है, जो गत वर्ष के उद्व्यय से 82.80 प्रतिशत अधिक है। दिनांक 17.12.2012 तक का व्यय ₹ 4860.70 करोड़ है जो अनुमोदित उद्व्यय के विरूद्ध 48.50 प्रतिशत तथा कुल उद्व्यय के विरूद्ध 39.58 प्रतिशत है।

3. **कृषि विभाग**

3.1 इस विभाग के कृषि रोड मैप में 18 कार्य मद सम्मिलित है। धान के बीज के विस्थापन दर का वर्ष 2012–13 में भौतिक लक्ष्य 40 प्रतिशत था जिसके विरूद्ध उपलब्धि 40.22 प्रतिशत है। यह उपलब्धि 100.55 प्रतिशत है। गेहूँ के बीज का विस्थापन दर का लक्ष्य 35 प्रतिशत है। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा बताया गया कि वर्ष की समाप्ति के उपरांत ही इस मद की उपलब्धि प्राप्त हो पायेगी। अरहर के बीज विस्थापन दर 10 प्रतिशत के विरूद्ध 18.87 प्रतिशत (188.70 प्रतिशत) है।

बगीया बचाओं अभियान में नवंबर, 2012 तक की उपलब्धि 21.54 प्रतिशत, सघन रोपण विधि से बाग की स्थापना में 125.70 प्रतिशत, जैविक सब्जी का विस्तार में 293.36 प्रतिशत, किसान समूह/फेडरेशन के गठन में 595.25 प्रतिशत, वर्मी कम्पोष्ट उत्पादन इकाई में 46.77 प्रतिशत, जैव उर्वरक में 84.78 प्रतिशत, गोबर/बायो गैस में 5.76 प्रतिशत, पावर टिलर/छोटा ट्रैक्टर में 56.03 प्रतिशत, जीरो टिलेज में 92.10 प्रतिशत, कम्बाइन्ड हार्वेस्टर में 45.00 प्रतिशत, गेहूँ की श्रीविधि में 65.98 प्रतिशत, धान की श्रीविधि में 305.34 प्रतिशत, जीरो टिलेज से गेहूँ की खेती में 35.87 प्रतिशत, दक्षिण

बिहार में मक्का की खेती में 79.46 प्रतिशत तथा अरहर की खेती में 128.44 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल हुई है।

3.2 मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि पूर्व में कृषि रोड मैप के अन्तर्गत केवल पावर टिलर को सम्मिलित किया गया था। इस मद में उपर्युक्त उपलब्धि केवल पावर टिलर मद की है। कृषकों की अभिरूचि को देखते हुए 20 हार्स पावर से नीचे की क्षमता वाले छोटे ट्रैक्टर को भी अब इस मद में सम्मिलित कर दिया गया है।

3.3 माननीय पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री द्वारा जैव उर्वरक तथा गोबर/बायो गैस योजना को कम्फेड से समन्वित करने का सुझाव दिया गया।

4. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

4.1 इस विभाग की कृषि रोड मैप के अन्तर्गत कुल 10 कार्य मद सम्मिलित हैं। वर्ष 2012–13 में निर्धारित भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध नवम्बर, 2012 तक कृत्रिम गर्भाधान में 20.50 प्रतिशत, पशुओं के टीकाकरण में 47.35 प्रतिशत, जीविकोपार्जन हेतु मुर्गी वितरण में 1.62 प्रतिशत, नये दुग्ध उत्पादन हेतु सहयोग समितियों के गठन में 32.45 प्रतिशत तथा दुग्ध संग्रहणन में 86.90 प्रतिशत हासिल हुई है। दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार, मत्स्य बीज हैचरियों के निर्माण, आर्द्र जल कृषि विकास एवं तालाबों की जीर्णोद्धार की प्रगति शून्य पायी गयी।

4.2 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का चालू वित्तीय वर्ष का संशोधित उद्व्यय ₹ 739.35 करोड़ है। इसके विरूद्ध दिनांक 17.12.2012 तका का व्यय मात्र ₹ 56.94 करोड़ (7.70 प्रतिशत) है। प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि कुछ तकनीकी कारणों से पशु मित्रों की नियुक्ति तथा एम्बुलेट्री भान का कय चालू वित्तीय वर्ष में नहीं हो पायेगा। शेष योजनाओं का कार्यान्वयन इस वर्ष में संपन्न करा लिया जायेगा।

4.3 जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उन्हीं कार्यक्रमों पर व्यय करने का निदेश माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया।

(अनुपालनः–पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग)

4.4 माननीय मंत्री, उद्योग तथा माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन द्वारा डेयरी प्रक्षेत्र में निजी निवेश के संबंध में जानकारी दिये जाने पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्ट किया गया कि यदि डेयरी प्रक्षेत्र में निजी निवेश आवश्यकता के अनुसार हो रहे हैं तो सरकारी निवेश को अन्य योजना पर लगाया जा सकता है। मुख्य सचिव के स्तर पर इसकी समीक्षा किये जाने का निदेश माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया कि निजी निवेश के प्रस्ताव को SIPB द्वारा स्वीकृति में COMPFED की अनापत्ति की क्या भूमिका होगी।

(अनुपालनः–पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग)

5. सहकारिता विभाग

5.1 इस विभाग के 3 कार्य मद कृषि रोड मैप में सम्मिलित है। वर्ष 2012–13 में निर्धारित भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध नवम्बर, 2012 तक भंडारण क्षमता में पैक्स/व्यापार

मंडल के माध्यम से अभिवृद्धि में 10.67 प्रतिशत, बिहार राज्य भंडार निगम के माध्यम से भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि में 20 प्रतिशत तथा परिसंस्करण इकाई की स्थापना (चावल मील सह गैसीफायर) में 4.82 प्रतिशत की उपलब्धि हुई है। इस विभाग की प्रगति को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दयनीय बताया गया।

5.2 गोदामों के निर्माण (भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि) के संबंध में पृच्छा किये जाने पर प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि कृषि बाजार समिति में अवस्थित भूमि के हस्तांतरण के संबंध में प्रकियात्मक विलंब के कारण इस योजना की प्रगति धीमी है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि कृषि बाजार समिति की भूमि के हस्तांतरण के संबंध में यदि कृषि विभाग द्वारा सैद्धांतिक सहमति दे दी गयी है तो योजना के निविदा इत्यादि का कार्य तुरत सम्पन्न कराया जाय।

(अनुपालनः—सहकारिता विभाग/कृषि विभाग)

5.4 माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग द्वारा बताया गया कि कर्नाटक राज्य की तरह बिहार में भी कृषकों के बीमा हेतु मुख्यमंत्री किसान ज्योति बीमा योजना का प्रस्ताव उनके द्वारा तैयार कराया गया है। इस पर समुचित कार्रवाई करने का निदेश माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया।

(अनुपालनः—सहकारिता विभाग)

6. जल संसाधन विभाग

6.1 इस विभाग के 3 कार्य मद कृषि रोड मैप में सम्मिलित है। वर्ष 2012—13 में निर्धारित भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध नवम्बर, 2012 तक अतिरिक्त सिंचाई के सृजन में शून्य, ह्रासित सिंचाई क्षमता के पुनर्स्थापन में 84.91 प्रतिशत तथा जल मिश्रण योजनाओं द्वारा जल जमाव से मुक्ति में 33.64 प्रतिशत की उपलब्धि हुई है।

6.2 प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि पश्चिम कोसी नहर परियोजना, बटाने जलाशय योजना तथा उतर कोयल जलाशय योजना के कार्य की प्रगति भू—अर्जन की समस्या के कारण धीमी है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि इस संबंध में मुख्य सचिव के स्तर पर राजस्व विभाग एवं संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारियों की बैठक कराकर समस्या का निदान कराया जाय।

6.3 माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि जिलों के भ्रमण के दौरान उनके द्वारा पूर्वी गंडक नहर के विस्तार की योजना का निरीक्षण किया गया था। इस योजना का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया। अतः योजना के कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाने का निदेश माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया।

(अनुपालनः—जल संसाधन विभाग)

7. लघु जल संसाधन विभाग

7.1 इस विभाग के 6 कार्य मद कृषि रोड मैप में सम्मिलित है। वर्ष 2012—13 में निर्धारित भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध नवम्बर, 2012 तक सिंचाई क्षमता का नया सृजन में 53.04 प्रतिशत, सिंचाई क्षमता के पुनर्स्थापन में 18.87 प्रतिशत, निजी नलकूप योजना में

28.62 प्रतिशत, सिंचाई कूप योजना में शून्य, नया सामुदायिक नलकूप योजना में 39.21 प्रतिशत तथा आहर पईन योजना में 145.86 प्रतिशत की उपलब्धि हुई है।

7.2 मुख्य सचिव द्वारा मुख्यमंत्री शताब्दी नलकूप योजना पर तुरत कार्य शुरू कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–लघु जल संसाधन विभाग)

7.3 माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पृच्छा किये जाने पर सचिव द्वारा सृजित सिंचाई क्षमता का सत्यापन/मूल्यांकन (Assesment) सेवानिवृत अभियंताओं से कराने का प्रस्ताव दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सेवा निवृत अभियंताओं से मूल्यांकन कराने के पूर्व इसका मूल्यांकन विभाग द्वारा कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–लघु जल संसाधन विभाग)

8. पर्यावरण एवं वन विभाग

8.1 इस विभाग के 6 कार्य मद कृषि रोड मैप में सम्मिलित है। वर्ष 2012–13 में निर्धारित भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध नवम्बर, 2012 तक सभी कार्यक्रमों के अन्तर्गत लगाये गये पौधों की संख्या में 58.64 प्रतिशत, वन क्षेत्रों में जलछाजन के विकास में 31.58 प्रतिशत, नदी तटबंध एवं नहर किनारे वृक्षारोपण में 8.55 प्रतिशत, कृषि वानिकी में शून्य तथा वृक्ष संरक्षण योजना में शून्य की उपलब्धि हुई है। मनरेगा के अन्तर्गत सड़क किनारे वृक्षारोपण के संबंध में कोई प्रतिवेदन नहीं देने के संबंध में पृच्छा किये जाने पर सचिव द्वारा बताया गया कि ग्रामीण विकास विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण इसपर कोई प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। कृषि वानिकी के संबंध में मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि उद्यान निदेशालय से भी प्रतिवेदन प्राप्त कर इसमें सम्मिलित किया जाय।

(अनुपालनः– पर्यावरण एवं वन विभाग)

8.2 माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत लगाये गये सभी पौधों का दस्तावेज (Documentation) तैयार कर लिया जाय तथा प्रत्येक लगाये गये पौधे के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या दिया जाय। प्रतिस्थापित (replaced) किये गये पौधों का भी आंकड़ा रखने का भी निदेश माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया।

(अनुपालनः– पर्यावरण एवं वन विभाग)

8.3 सभी संबंधित विभागों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि लगाये गये पौधें का अनुश्रवण (Monitoring) वे भी अपने विभाग के स्तर पर करें तथा वन विभाग इसका समन्वय करे।

(अनुपालनः–संबंधित सभी विभाग)

8.4 माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हरियाली मिशन की सोसाइटी को तुरंत गठित करने का निदेश दिया तथा इसके कृत्यों तथा प्रक्रियाओं को भी निर्धारित करने का निदेश

दिया गया। मिशन मोड के पूर्ण रूप से प्रलेखन के संबंध में मुख्य सचिव के स्तर पर एक बैठक कर कार्रवाई करने का निदेश भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया।

(अनुपालनः—कृषि विभाग/पर्यावरण एवं वन विभाग)

9. ऊर्जा विभाग

9.1 इस विभाग के 3 कार्य मद कृषि रोड मैप में सम्मिलित है। वर्ष 2012–13 में निर्धारित भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध नवम्बर, 2012 तक डेडिकेटेड फीडर से संबंधित नेटवर्क में शून्य, ऊर्जान्वित किये गये निजी नलकूप में 1.46 प्रतिशत तथा सौर ऊर्जान्वित निजी नलकूपों में शून्य की उपलब्धि हुई है।

9.2 डेडिकेटेड फीडरों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पृच्छा किये जाने पर अध्यक्ष, बी0एस0पी0एच0सी0एल0 द्वारा बताया गया कि कृषि के लिए 11 के0भी0 डेडिकेटेड फीडरों के कार्य संपादन के लिए पटना जिला को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चिन्हित किया गया है। पटना जिला के नौबतपुर प्रखंड के डेडिकेटेड फीडर के कार्य संपादन हेतु " टर्न की " के आधार पर निविदा आमंत्रित की गयी है। दिसम्बर के अंत तक कार्यान्वयन एजेंसी की बहाली कर ली जायेगी। राज्य के शेष 37 जिलों का डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु इन्हें 8 क्लस्टरों में विभाजित करते हुए एजेंसी के चुनाव हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है।

(अनुपालनः— ऊर्जा विभाग/बीरएस0पी0एच0सी0एल0)

9.3 ऊर्जान्वित किये गये निजी नलकूपों में दयनीय प्रगति के संबंध में पृच्छा किये जाने पर यह जानकारी दी गयी कि डेडिकेटेड फीडरों से संबंधित कार्य नहीं हो पाने के कारण इसमें अपेक्षित प्रगति नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि डेडिकेटेड फीडर का इंतजार न करते हुए सामान्य फीडर से नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाय।

(अनुपालनः— ऊर्जा विभाग/बीरएस0पी0एच0सी0एल0)

9.4 डेडिकेटेड फीडर का कार्य विश्व बैंक से कराने की सहमति होने की सूचना माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा दी गयी। माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा यह भी जानकारी दी गयी कि इसमें 70 प्रतिशत का ऋण विश्व बैंक से प्राप्त होगा तथा 30 प्रतिशत राज्य योजना मद से व्यय होगा। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि यह कार्य अपने राज्य बजट से कराया जाय या बाजार से उधार लेकर (विश्व बैंक से ऋण), इसपर भी विचार कर लिया जाय साथ ही नाबार्ड के आर०आई०डी०एफ० के अन्तर्गत ऊर्जा संबंधी ग्रामीण परियोजनाओं को शामिल करने के लिए पत्राचार प्रारंभ किया जाय।

(अनुपालनः— ऊर्जा विभाग/बीरएस0पी0एच0सी0एल0)

10. ग्रामीण कार्य विभाग

10.1 इस विभाग द्वारा कृषि रोड मैप के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों से 17500 कि0मी0 सड़क निर्माण (सरफेश) का लक्ष्य वर्ष 2012–13 में निर्धारित किया गया है। इसके विरूद्ध नवम्बर, 2012 तक 4616.91 कि0मी0 (26.38 प्रतिशत) में निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया है।

10.2 माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बताया गया कि 250 से अधिक आबादी वाले टोलों को जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अन्तर्गत कोर नेटवर्क का 3 जिलों (सीतामढ़ी, शिवहर एवं कैमूर) का अनुमोदन संबंधित जिला संचालन समिति से नहीं हो पाया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इन तीनों जिलों के कोर नेटवर्क से तैयार योजनाओं का अनुमोदन संबंधित जिला संचालन समिति से अविलंब कराने हेतु निर्देश दिया गया।

(अनुपालनः– ग्रामीण कार्य विभाग)

11. उद्योग विभाग

11.1 इस विभाग के 3 कार्य मद कृषि रोड मैप में सम्मिलित है। वर्ष 2012–13 में निर्धारित भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध नवम्बर, 2012 तक शीत भंडारण क्षमता (उद्यान प्रभाग मिलाकर) में 58.85 प्रतिशत, राईस मिलिंग क्षमता में 28.73 प्रतिशत तथा खाद्य प्रसंस्करण इकाई (राइस मिल को छोड़कर) 117.86 प्रतिशत की उपलब्धि हुई है। प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि शीत भंडारण क्षमता का निर्धारित लक्ष्य 65000 मि0 टन है परंतु इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 108000 मि0टन की उपलब्धि विभाग द्वारा हासिल कर ली जायेगी।

(अनुपालनः– उद्योग विभाग)

11.2 प्रधान सचिव द्वारा कृषि से संबंधित छोटे–छोटे उपकरणों को कृषि रोड मैप से संबंधित उद्योग विभाग के कार्य मद में शामिल करने का सुझाव दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि इसे कृषि रोड मैप में शामिल किया जा सकता है, परंतु इन उपकरणों के खपत लिए स्थानीय स्तर पर बाजार की आवश्यकता है। अतः इन उपकरणों के लिए बाजार की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– उद्योग विभाग/कृषि विभाग)

12. राजस्व एवं भूमि विभाग

12.1 इस विभाग के 3 कार्य मद कृषि रोड मैप में सम्मिलित है। वर्ष 2012–13 में निर्धारित भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध नवम्बर, 2012 तक राजस्व मानचित्रों के निर्माण में निर्धारित लक्ष्य 15348 के विरूद्ध 11 (0.07 प्रतिशत), खानापुरी तथा सर्वे–री–सर्वे में उपलब्धि शून्य है।

12.2 माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उपर्युक्त तीनों कार्यमदों में आंशिक रूप से कार्य न कराकर पूर्ण रूप से कराने का निदेश दिया गया। कार्य कराने में उत्पन्न होने वाली

कठिनाईयों को संबंधित एजेंसी से विमर्श कर समाधान कराने का भी निदेश दिया गया।

(अनुपालनः— राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

12.3 कानूनगो के पद पर प्रोन्नति से यथाशीघ्र पदस्थापन करने का भी निदेश माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया।

(अनुपालनः— राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

13. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

13.1 इस विभाग के 2 कार्य मद कृषि रोड मैप में सम्मिलित है। वर्ष 2012–13 में निर्धारित भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध नवम्बर, 2012 तक गोदामों का निर्माण (भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि) 29.23 प्रतिशत, गेहूँ अधिप्राप्ति 34.27 प्रतिशत तथा धान अधिप्राप्ति में नगण्य उपलब्धि हुई है।

13.2 धान अधिप्राप्ति की प्रगति पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया तथा निदेश दिया गया कि राज्य खाद्य निगम को अधिप्राप्ति हेतु क्रियाशील कराया जाय।

(अनुपालनः— खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग)

13.3 माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विभाग द्वारा निर्मित गोदामों को लकनीकी प्रकिया अपनाकर केन्द्रीय भंडार निगम को भी लीज पर देने का सुझाव दिया गया।

(अनुपालनः— खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग)

14. गन्ना उद्योग विभाग

14.1 इस विभाग के 2 कार्य मद कृषि रोड मैप में सम्मिलित है। वर्ष 2012–13 में निर्धारित भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध नवम्बर, 2012 तक गन्ना के साथ दलहन, तेलहन एवं सब्जी के अंतर्वर्ती खेती हेतु बीज अनुदान में 16.44 प्रतिशत तथा गन्ना के उत्तम प्रभेदों में बीज के अनुदानित दर पर वितरण में 42.86 प्रतिशत की उपलब्धि हुई है।

14.2 माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गन्ना शोध संस्थान को समस्तीपुर से पूर्वी चम्पारण/पश्चिमी चम्पारण स्थानांतरित करने का निदेश दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त को निदेश दिया गया कि वे कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा से तथा संबंधित विभागों एवं जिला पदाधिकारियों से इस संबंध में विमर्श कर त्वरित कार्रवाई करेंगे।

(अनुपालनः— कृषि विभाग/गन्ना उद्योग विभाग/
कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा)

15. विश्व बैंक संपोषित कोसी पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजना की मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त के स्तर पर नियमित समीक्षा करने का निदेश माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया।

(अनुपालनः— योजना एवं विकास विभाग)

16. माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग द्वारा नवाचार योजना के अन्तर्गत कृषि रोड मैप से संबंधित योजनाओं को सभी विभागों द्वारा लेने का सुझाव दिया गया।

17. माननीय मंत्री, कृषि विभाग द्वारा कृषि को विद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया। प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा जानकारी दी गयी कि अष्टम एवं नवम् वर्ग के जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम में कृषि को सम्मिलित कर दिया गया है। 11वें एवं 12वें वर्ग में कृषि एक विषय के रूप में सम्मिलित है।

18. माननीय मंत्री, कृषि विभाग द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में नामांकन हेतु अलग से प्रवेश परीक्षा लेने का सुझाव दिया गया। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव द्वारा जानकारी दी गयी कि कृषि विश्वदिद्यालयों/महाविद्यालयों में नामांकन हेतु अलग से प्रवेश परीक्षा आयोजित किये जाने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद से पारित है। आगे की कार्रवाई मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से की जानी है।

(अनुपालनः— मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग)

19. माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा पशु चारा के रूप में सहजन की खेती कराने का सुझाव दिया गया। प्रत्यक्षण के रूप में राज्य के दोनों कृषि विश्वविद्यालयों के कुछ एकड़ में इसे लगाने का भी सुझाव दिया गया।

(अनुपालनः— कृषि विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/
राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा/बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर)

20. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कृषि संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति की अगली बैठक क्रमशः अप्रैल, 2013, जुलाई, 2013, अक्टूबर, 2013 तथा दिसम्बर, 2013 में आयोजित कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः— मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ कृषि विभाग)

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

22.1.2013

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव, बिहार

कृ०पृ०उ०

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

ज्ञापांक: मं0मं0–01/मंत्रिपरिषद–05/2011 114 दिनांक 23 जनवरी, 2013

प्रतिलिपि: मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/उप मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मंत्री, कृषि विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/गन्ना उद्योग विभाग/उद्योग विभाग/ आपदा प्रबंधन विभाग/सहकारिता विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ऊर्जा विभाग/योजना एवं विकास विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/सूचना प्रावैधिकी विभाग/पंचायती राज विभाग/पर्यावरण एवं वन विभाग/शिक्षा विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक: मं0मं0–01/मंत्रिपरिषद–05/2011 114 दिनांक 23 जनवरी, 2013

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक: मं0मं0–01/मंत्रिपरिषद–05/2011 114 दिनांक 23 जनवरी, 2013

प्रतिलिपि: उपाध्यक्ष, बिहार राज्य योजना पर्षद/मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार/ अध्यक्ष, बिहार राज्य होल्डिंग पावर कारपोरेशन लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक: मं0मं0–01/मंत्रिपरिषद–05/2011 114 दिनांक 23 जनवरी, 2013

प्रतिलिपि: कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक: मं0मं0–01/मंत्रिपरिषद–05/2011 114 दिनांक 23 जनवरी, 2013

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/गन्ना उद्योग विभाग/उद्योग विभाग/ आपदा प्रबंधन विभाग/सहकारिता विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ऊर्जा विभाग/योजना एवं विकास विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/सूचना प्रावैधिकी विभाग/पंचायती राज विभाग/पर्यावरण एवं वन विभाग/शिक्षा विभाग सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.1.13

(दीपक कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव